P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-7* ISSUE-11* July- 2020
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

मानवाधिकार एवं गांधीवादी परिप्रेक्ष्य

Human Rights and Gandhian Perspective

Paper Submission: 12/07/2020, Date of Acceptance: 26/07/2020, Date of Publication: 27/07/2020

पूनम बजाज
सहायक आचार्य,
समाजशास्त्र विभाग,
चौधरी बल्लूराम गोदारा
राजकीय कन्या महाविद्यालय,
श्रीगंगानगर, राजस्थान, भारत

सारांश

मानव अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो प्रत्येक मनुष्य को केवल मनुष्य होने के नाते प्राप्त होने चाहिए, चाहें इसके लिए कोई कानूनी व्यवस्था हो या नहीं। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में मानव धर्म को हमेशा सर्वेश्रेष्ठ माना गया। हमारी सनातन परम्परा व्यक्ति–व्यक्ति में कोई भेद नहीं करती अपितु मानव ही नहीं प्राणी मात्र के कल्याण की कामना करती है। प्रस्तुत पत्र में मानवाधिकारों की गांधीवादी परिप्रेक्ष्य में चर्चा की गई है।

Human rights are the rights that every human being should get only as human beings, whether there is a legal system or not. Humanism was always considered the best in Indian civilization and culture. Our eternal tradition does not make any distinction between individuals but to wish for the welfare of not only human beings but animals. In the paper presented, human rights are discussed from a Gandhian perspective.

मुख्य शब्द : मानवाधिकार, मानवीय मूल्य, स्वतंत्रता, नैतिक आदर्श, प्रगति, संविधान, मानवता, अहिंसा।

Human Rights, Human Values, Freedom, Moral Respect, Progress, Constitution, Humanity, Non-Violence.

प्रस्तावना

मानवाधिकारों का सीधा संबंधी मानवीय सुखों से है। जैसा कि 'अधिकार' शब्द को परिभाषित करते हुए हैराल्ड लास्की ने कहा है– ''अधिकार मानव जीवन की ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके बिना सामान्यतः कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता। हमारी नैतिक चेतना और सामाजिक चेतना जितनी विकसित होती जाएगी मानवाधिकारों का क्षेत्र भी उतना ही विस्तृत होता जाएगा।

मानव व अधिकार दो शब्द हैं जो परस्पर संबंधित है। मानव लिंग भेद के आधार पर ''स्त्री'' एवं ''पुरूष'' रूप में जाना जाता है। व्यक्ति एक सामाजिक जीव है जो समाज में जन्म लेता है और जीवन पर्यन्त समाज का होकर रहता है। शरीर संरचना एक होती है चाहे रंग भेद या लम्बाई चौड़ाई में अन्तर हो। उसकी मूलभूत आवश्यकताएं एक ही होती है, चाहे इच्छाएं एवं आकांक्षाएं अलग–अलग हो सकती है। जो व्यक्ति के स्वभाव व परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं। अधिकार समाज के सभी व्यक्तियों के व्यक्तित्व के उच्चतम विकास हेतु आवश्यक वे सामान्य सामाजिक परिस्थितियां हैं जिन्हें समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करने की व्यवस्था करता है। सामाजिक या नागरिक अधिकारों के अन्तर्गत हमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार एवं संवैधानिक संरक्षण का अधिकार शामिल हैं।

यदि मानवाधिकारों के संदर्भ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों की चर्चा करें तो हम जानते है कि गांधी जी अपने युग के विचारक और राष्ट्रीय आंदोलन के ऐसे नेता थे जिन्होंने अपने समय के अधिकांश अनुमानों एवं विश्वासों को चुनौती दी थी। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन का रूप दिया, जो विचार भारतीय समाज में पहले से प्रचलित थे जैसे स्वदेशी अपनाओं, विदेशी चीजों का बहिष्कार। गांधी जी ने इसे अहिंसा एवं सत्याग्रह के विचार से जोड़कर एक विलक्षण अर्थ प्रदान कर दिया। गांधी जी के विचारों ने लोगों पर अत्यधिक प्रभाव डाला क्योंकि वे मौलिक एवं उस समय की मांग के अनुरूप थे।

अध्ययन का उद्देश्य

इस शोध पत्र में मानवाधिकारों की विवेचना के साथ–साथ मानवीय मूल्यों को गांधीजी के परिप्रेक्ष्य से देखा गया है। मानवीय मूल्यों का गांधीवादी दर्शन में सर्वोच्च स्थान रहा है इसकी उपयोगिता एवं प्रासंगिकता का अध्ययन

किया गया है। महिलाओं के अधिकारों पर गांधीजी के विचारों की चर्चा भी की गई है।

अध्ययन पद्धति

प्रस्तुत शोध पत्र विश्लेषणात्मक एवं वर्णनात्मक पद्धति पर आधारित है। इस पत्र हेतु द्वितीयक तथ्यों यथा संदर्भ पुस्तकों, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों से तथ्य एकत्रित किये गये हैं।

साहित्यावलोकन

प्यारेलाल, महात्मा गांधी : दी अर्लीफेज में में लिखते है कि स्वराज भारत को सिर्फ अंग्रेजी दासता से ही नही बल्कि हर प्रकार की दासता से मुक्त करेगा। स्वराज्य तब तक पूर्ण नहीं माना जावें जब तक इसके तहत सभी इंसानों को जीवन की सामान्य, सुविधाऍं सुनिश्चित तौर पर उपलब्ध नही कराई जाती साथ ही स्वराज सतत् परिश्रम और पर्यावरण के बृद्धिमतापूर्ण उपयोग का फल होगा।

डॉ. राकेश कुमार, 'महात्मा गांधी की सामाजिक राजनैतिक अवधारणा (मानवाधिकार एंव मीडिया के संदर्भ में) बताते है कि राजनैतिक परिदृश्य में मानवीय मूल्य कितने जरूरी हैं। राजनीति में मानवीय मूल्य किसी भी लोकतान्त्रिक समाज के आधार माने जाते हैं। लेकिन आज राजनीति में इनका स्तर गिरता जा रहा है उसी कारण वर्तमान समाजों की स्थिति ऐसी दिखाई देती हैं।

एम. के गांधी, हरिजन, में लिखते है कि समानता का व्यवहार व्यक्ति के साथ किया जाऐ, यह मानव का अधिकार हैं। सामाजिक पुनर्निर्माण और इनके साथ भेदभाव समाप्त करने के लिए इन्होनें हरिजन नाम देकर अछूतों को मुख्य धारा में शामिल करने का हर संभव प्रयास किया।

एम. के गांधी, 'सत्य के साथ मेरे प्रयोग में अपनी जीवन यात्रा को पूरी सत्यता के साथ लिखते है, सत्य का हमारे मानवीय मूल्यों में सर्वोच्चय स्थान है। सभी मानवीय मूल्यों की चर्चा विस्तार से इस पुस्तक में की गई है।

न्यायधिकारी चन्द्रशेखर धर्माधिकारी, 'गांधी विचार और पर्यावरण में लिखते हैं कि भोगवादी जीवन शैली और वैश्वीकरण की नीतियों के कारण पूरी दुनिया में शोषण बढ़ा है जिसमें मानवाधिकारों का हनन दिखाई देता है।

गांधी जी ने स्वतंत्रता एवं राज्य के संदर्भ में कहा कि व्यक्ति के पास आत्मा है, लेकिन राज्य एक आत्म यंत्र है। उनका स्वराज में विश्वास था जो उनकी दृष्टि में एक ऐसी अवस्था थी, जिसमें व्यक्ति खुद अपना मालिक बन सकता था। केन्द्रीकरण के वे खिलाफ थे लेकिन विकेन्द्रीकरण लोगों को उत्तरदायी एवं अहिंसक बनाता है जिससे लोगों में परस्पर सहायोग की भावना का विकास होता है उन्होंने ग्राम पंचायतों को अधिक से अधिक शक्तियां देने का आग्रह किया।

स्वतंत्रता एंव आर्थिक संगठन पर उनका मत था कि श्रम ही वास्तविक सम्पत्ति है जो धन पैदा करती है और उसे बढ़ाती है। उनका मानना था कि बिना कुछ श्रम किये तो व्यक्ति को एक वक्त का खाना भी नहीं खाना चाहिए। उन्होंने पूंजीपतियों एवं जमीदारों से न्यासी बनने का आग्रह किया। गांधी जी का शोषण रहित अहिसंक समाज रचना की संकल्पना में निहित इस ट्रस्टीशिप भावना को प्रकृति एवं पर्यावरण के संदर्भ में अमेरिका में भी स्वीकार किया गया है। भारतीय संविधान की धारा 21 में भारतीय नागरिक जो जीने का मूलभूत अधिकार दिया गया है उसी में 'पर्यावरण संरक्षण' अंतर्निहित है इस कारण शुद्ध और स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार भी मूलभूत अधिकार का एक अंग है।

संघर्ष समाधान की पद्धतियों में गांधी जी ने घृणा के बदले प्रेम की शक्तियां विकसित करने पर बल दिया। साधनों को सही अर्थों में साधन होने के लिए हमेशा शुद्ध होना चाहिए। उनके लिए अहिंसा व्यक्ति का परम कर्त्तव्य होना चाहिए। सत्याग्रह उनके लिए ऐसा हथियार था जिसमें अहिंसा द्वारा हिंसा का विरोध शामिल था। सत्याग्रही केवल जीतने की कोशिश नहीं करता बल्कि वह सार्वजनिक कल्याण एवं सत्य की खोज करता है।

गांधी जी कहते थे कि अधिकार कर्त्तव्य से ही मिलते हैं बिना अपना कर्त्तव्य पालन किये नैतिक रूप से समाज या राज्य से हम कोई भी अधिकार नहीं मांग सकते। व्यक्ति अपने को सुधार कर अपने कर्त्तव्यों का पालन करे फिर उसके पास किसी वस्तु का अभाव नहीं होगा।

गांधी जी शक्ति, सेना और पुलिस के विरुद्ध थे। वे खून के बदले खून लेने के सिद्धान्त के विरुद्ध थे। वे विश्व मानवता में विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे तथा उन्होंने निम्न मानवीय मूल्यों की चर्चा कीः–

1. मानवता।
2. करूणा।
3. सदगुण।
4. आत्मशक्ति।

आश्रम व्यवस्था

आश्रम में उन्होंने निम्न प्रतिज्ञाऐं निर्धारित कीः–

1. सत्य।
2. बह्मचर्य।
3. वाणी पर नियंत्रण।
4. अभय।
5. अस्तेय।
6. अपरिग्रह।
7. श्रम करना।
8. स्वदेशी अपनाना।
9. छूआछूत का अंत।
10. नम्रता।
11. साधन तथा साध्य।
12. सत्याग्रह।
13. निष्क्रिय प्रतिरोध।
14. सर्वोदय।

गांधी जी का मानना था कि व्यक्ति में चाहे अनेक बुराईयां हो लेकिन मूलतः वह एक श्रेष्ठ प्राणी है, क्योंकि वह पशु अवस्था से सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित हुआ है उसमें प्रेम, सत्य एवं अहिंसा के गुण विद्यमान है। उन्होंने जिस सर्वोदय समाज की कल्पना की उसमें व्यक्ति–व्यक्ति के मध्य प्रेम, सदभावना, समानता, उन्नति एवं प्रगति की बात कही है।

चूंकि व्यक्ति समाज की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, व्यक्ति की उन्नति का अर्थ ही है समाज की उन्नति। इस अर्थ में व्यक्ति और समाज सापेक्षित है। वास्तव में गांधी जी रस्किन की पुस्तक 'अनटू द लास्ट' से बहुत प्रभावित हुए थे। उन्होंने इस पुस्तक से कुछ निष्कर्ष निकालेः–

1. व्यक्ति का हित समस्त व्यक्तियों के हित में निहित है।
2. वकील और नाई के कार्य का महत्व समान है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्य द्वारा जीविका अर्जित करने का समान अधिकार है।
3. कृषक, श्रमिक और कामगार का जीवन ही सर्वात्कृष्ट है। वे ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते है जहां न कोई कोई छोटा हो, ना कोई बड़ा। व्यक्ति–व्यक्ति के मध्य किसी आधार पर अन्तर न हो बल्कि सभी प्रेम–भावना के बंधन में बंधकर कार्य करें। उसमें मानवीय गुणों का विकास हो तभी व्यक्ति का नैतिक आचरण उच्च होगा और वह समाज और देश की प्रगति में अपना योगदान बेहतर तरीके से दे सकेगा। गांधी जी की सर्वोदयी अवधारणा में अनिवार्य रूप से मानवीय जीवन के सभी पक्ष समाहित हैं। महात्मा गांधी ने आजीवन इसी भावना से कार्य किया तथा उनके सृजनात्मक कार्यों का अत्यन्त दूरगामी महत्व है। इसमें वे सम्पूर्ण जीवन दर्षन को प्रतिपादित करते हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ''मानवीय अधिकारों का सार्वभौमिक घोषण पत्र'' स्वीकार किये हुए भी 55 वर्ष से अधिक समय हो चुका है लेकिन आज भी महिला वर्ग के हित और अधिकार सुरक्षित नहीं है।

भारतीय समाज में प्राचीनकाल से ही सामाजिक मान्यताओं, परम्पराओं एवं धार्मिक बंधनों ने स्त्रियों को जकड़ रखा है। दो प्रमुख कारण आज भी हमारे समक्ष है जो स्त्रियों की प्रस्थिति को निम्न स्थान पर रखते हैंः–

1. महिलाओं में शिक्षा का अभाव।
2. महिलाओं की आर्थिक निर्भरता।

हमारे देश का संविधान महिलाओं के लिए तीन तरीकों से विशिष्ट प्रावधान करता हैः–

1. संविधान महिलाओं और पुरूषों में लैंगिक भेदभाव मिटाने का प्रावधान करता है।
2. महिलाओं को पारम्परिक रूप से प्रताड़ित किये जाने के अन्याय को समाप्त करने के लिए संविधान सरकार को महिलाओं के हित में विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है।
3. संविधाननिहित रूप से यह उम्मीद रखता है कि सरकार सभी कमजोर वर्गो जिसमें महिलाएं शामिल है, की स्थिति सुधारने के लिए विशेष प्रयत्न करेगी।

महिला अधिकारों के संदर्भ में गांधी जी के विचार

गांधी जी ने पश्चिमी सभ्यता की समालोचना करते हुए कहा कि भारतीय सभ्यता प्रत्येक व्यक्ति के विकास पर जोर देती है चाहे वह सबसे कमजोर व्यक्ति ही क्यों। उनकी इच्छा थी कि किसी भी लोकतंत्र में सबसे कमजोर व्यक्ति को भी वे अवसर प्राप्त होने चाहिए, जो सबसे बलशाली व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। सर्वहारा वर्ग तब तक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि महिलाओं के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर लें। यदि महिलाओं को राजनीति में, सार्वजनिक कार्यों में शामिल किया जाता उन्हें रसोई की घुटन से बाहर नहीं निकाला जाता, उनहें बराबर का दर्जा प्राप्त होता, तब तक वास्तविक स्वतंत्रता की बात करना असंभव होगा।

स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी की प्रेरणा से अनेक महिलाएं आजादी की लड़ाई में पुरूषों के साथ आगे बढ़कर भाग लेने लगी थी। पर्दा–प्रथ के कारण वे घर से बाहर नहीं जा पाती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इन बंधनों से छुटकारा पाने के लिए शिक्षा ग्रहण करना, आजीविका कमाने हेतु गृह उद्योगों एवं लघु उद्योगों में कार्य करना शुरू किया। राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़–चढ़ कर भाग लेना, प्रभातफेरी, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, शराब के अड्डों पर धरना आदि में सक्रिय भाग लेना शुरू कर दिया। गांधी जी महिलाओं की आंतरिक शक्ति व क्षमताओं को पुरूषों की क्षमता के समान मानते थे। वे महिलाओं को सामाजिक कुरीतियों के बंधन से बाहर निकालकर उनकी शक्ति को रचनात्मक कार्यों में लगाना चाहते थे। उनका मानना था "तुम महिलाओं के व्यक्तित्व को विकसित होने का मौका दो, उनको चार दीवारी में रखने की बजाए, तरक्की का मौका दो, देश के विकास में देर नहीं लगेगी।" महिलाओं के प्रति सकारात्मक सोच और अच्छा नजरियां गांधी जी में अपनी पत्नी के कारण विकसित हुआ। गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा की षिक्षा अपनी पत्नी से प्राप्त की क्योंकि वे अक्सर अपने विचारों को अपनी पत्नी पर थोपना चाहते थे वह उसका विरोध करती और शांतिपूर्ण ढंग से सहती भी थी अंततः गांधी जी को अपनी गलती समझ में आ गई और उन्होंने अहिंसा एवं सत्याग्रह जैसे मानवीय मूल्यों का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में अपने प्रवास के दौरान भी किया।

उन्होंने हिन्दू–मुस्लिम या अन्य जाति का भेदभाव किये बिना इन महिलाओं का 'मानव' के रूप में मदद करना और समाज के विकास की राह पर ले जाकर शांति और प्रेम की स्थापना करना है।

महिलाओं के लिए बनाई गई नीतियों, योजनाओं एवं परियोजनाओं का एकमात्र उद्देश्य महिलाओं का समग्र और सुदृढ़ विकास हो। योजनाओं का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की सहभागिता बढ़ाकर उनकों समाज में पूर्ण सम्मान एवं प्रतिष्ठा दिलाना हो। इसके साथ ही सभी क्षेत्रों में हो रहे विकास की जानकारी एवं उसका लाभ उनको प्राप्त हो सके। शिक्षा की कमी तथा रूढ़िवादिता एवं परम्परावादी भारतीय समाज ऐसे कारण है जिससे महिलाएं विकास की प्रक्रिया में पूर्ण रूप से भागीदारी नहीं निभा पाती है। जो महिलाएं हिम्मत करके आगे बढ़ती हैं, इसमें कोई संशय नहीं वे लाभान्वित भी होती है परन्तु उनकी संख्या नगण्य है। गांधी जी का मानना था कि प्रत्येक स्त्री में मानवीय गुण अपने उच्च स्तर पर होते हैं लेकिन वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होती अतः समाज के जागरूक वर्ग का यह दायित्व है कि वह महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाए। स्त्री को शिक्षित करके सम्पूर्ण समाज के शिक्षित होने की दिशा की ओर कदम बढ़ाए।

निष्कर्ष

मानवीय मूल्यों के संदर्भ में गांधी जी की अवधारणा का उनके दर्शन में सर्वोच्चय स्थान रहा है, जैसे जीवन जीने के लिये श्वास आवश्यक है उसी प्रकार व्यक्ति के विकास में मानवीय मूल्यों को प्रत्येक स्तर पर होना ही चाहिए। इसमें वे समानता जिसमें छुआछुत और भेदभाव को पूर्ण रूप से दूर करना, जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, व्यक्ति–2 में भेद नहीं करना आदि। वे व्यक्ति की समग्रता और उसके नैतिक आधारों पर जोर देते हैं क्योंकि उनका मानना है कि नैतिक मूल्यों को अपनाकर कई समस्याओं को कम किया जा सकता है। गांधी जी के विचारों का प्रभाव अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जा सकता है। मानवीय मूल्यों से युक्त गॉधी जी की विचार धारा तकनीकी विकसित समाजों में आज भी प्रांसगिक है।

संदर्भ ग्रंथ सूचीं

1. *डां. जी.पी. नेमा एवं डां. के.के. शर्मा, ''मानवाधिकार सिद्धान्त एवं व्यवहार'', कॉलेज बुक डिपो, जयपुर, 2005।*
2. *एम.ए. अंसारी, ''महिला एवं मानवाधिकार'', ज्योति प्रकाशन, जयपुर, 2014।*
3. *श्रीमती पूजा शर्मा, ''महिलाएं एवं मानवाधिकार'', सागर पब्लिशर्स, जयपुर, 2012।*
4. *महात्मा गांधी, ''हिज लाईफ विद पिक्चर्स'', गांधी स्टडी सेंटर, चेन्नई, 2006।*
5. *डां. वी.एन.सिंह एवं जनमेजय सिंह, ''भारतीय सामाजिक चिंतन, विवेक प्रकाशन, जवाहर नगर, दिल्ली, 1999।*
6. *गांधी मो.क., ''सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा'' अनुवादक काशीनाथ त्रिवेदी, नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद, 2014।*
7. *गांधी, ''मेरे सपनों का भारत'' संग्रहकर्त्ता आर.के. प्रभु, सर्वसेवा संघ प्रकाशन, वराणसी, 2012।*